

आदेश

श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री कर्मबीर, पंच, ग्राम पंचायत भालंग, वार्ड नं०. 05, खण्ड कलायत, जिला कैथल द्वारा पंच पद से दिया गया त्याग पत्र/शपथ पत्र दिनांक 27.03.2025 जो उपायुक्त, कैथल के सिफारिश पत्र क्रमांक 3826/पंचायत दिनांक 16.05.2025 सहित प्राप्त हुआ है, को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 5 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है।

चण्डीगढ़, दिनांक
05-06-2025

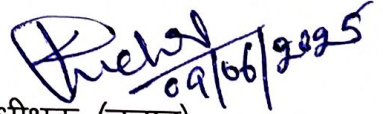
दुष्मन्ता कुमार बैहेरा, आई०ए०एस०
महानिदेशक विकास एवं पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृ० क्रमांक ई०सी०ए००२-2025 / 25034-35 दिनांक : 09-06-2025

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा, निर्वाचन सदन, प्लॉट नं० 2, सैक्टर-17, पंचकूला।
2. उपायुक्त, कैथल को उनके सिफारिश पत्र क्रमांक 3826/पंचायत दिनांक 16.05.2025 के संदर्भ में।
3. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, कैथल।
4. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, कलायत (जिला कैथल)।
5. संरपच, ग्राम पंचायत भालंग, खण्ड कलायत, जिला कैथल।
6. श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री कर्मबीर, निवासी गांव भालंग, तहसील कलायत, जिला कैथल।
- ✓ 7. आई०टी० सैल, मुख्यालय।

Sh. Goring/Sh. Mohit


अधीक्षक (चुनाव)

कृते: महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग
हरियाणा, चण्डीगढ़।